आवश्यक / महत्वपूर्ण / द्वारा फैक्स / ई–मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर 1 चतुर्थ तल सिग्नेचर बिल्डिंग सेक्टर 1 गोमती नगर विस्तार लखनऊ।

संख्याः दस–30–2025 दिनांकः लखनऊ, नवम्बर २२, 2026

सेवा में,

1 समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / प्रभारी जनपद।
3 समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी / एसएसएफ / एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी अजनपदीय इकाई उ0प्र0 पुलिस।

विषयः– उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में परिवीक्षाधीन अवधि में प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति एवं आधारभूत / व्यवहारिक प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन भत्तों की वसूली से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–10, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्याः788 / छः–पु0–10–2026–2092811, दिनांकः 21–11–2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उपनिरीक्षक ना0पु0 एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 के अन्तर्गत 4543 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में उ0प्र0 पुलिस विभाग में विभिन्न अराजपत्रित पदों पर परिवीक्षाधीन हैं, उनसे प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति एवं आधारभूत / व्यवहारिक प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन भत्तों की वसूली से मुक्त किये जाने का निर्णय सक्षम स्तर द्वारा लिया गया है। उक्त प्रकरण में लिये गये निर्णय को भविष्य में किसी भी अन्य प्रकरण में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

2– अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–10, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः788 / छः–पु0–10–2026–2092811, दिनांकः 21–11–2026 द्वारा लिये गये निर्णय, जो स्वतः स्पष्ट है, के सम्बन्ध में अपने स्तर से नियमानुसार सम्यक् कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

22/11/26

(अखिलेश कुमार चौरसिया)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त विभागाध्यक्ष (अजनपदीय इकाई) उत्तर प्रदेश पुलिस।
2– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी जोन / सेक्टर, उ0प्र0।
5– पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6– पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय / एसएसफ मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

महत्वपूर्ण/फैक्स/ई-मेल

संख्या-788/छ:-पु0-10-2026-2092811

प्रेषक,

जगदीश,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 21 नवम्बर, 2026

विषयः-उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में परिवीक्षाधीन अवधि में प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति एवं आधारभूत/व्यावहारिक प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन भत्तों की वसूली से मुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-दस-30/2023, दिनांक 13.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उप निरीक्षक ना०पु० एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत 4543 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में उ०प्र० पुलिस विभाग में विभिन्न अराजपत्रित पदों पर परिवीक्षाधीन हैं, के सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये उनसे प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति एवं आधारभूत/व्यावहारिक प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन भत्तों की वसूली से मुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उप निरीक्षक ना०पु० एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत 4543 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में उ०प्र० पुलिस विभाग में विभिन्न अराजपत्रित पदों पर परिवीक्षाधीन हैं, उनसे प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति एवं आधारभूत/व्यावहारिक प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन भत्तों की वसूली से मुक्त किये जाने का निर्णय सक्षम स्तर द्वारा लिया गया है। उक्त प्रकरण में लिये गये निर्णय को भविष्य में किसी भी अन्य प्रकरण में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा |

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
JAGDISH TRIPATHI
Date: 21-11-2026 18:47:48

(जगदीश)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. - अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAKESH KUMAR MALPANI
Date: 21-11-2026 18:49:11

(राकेश कुमार मालपाणी)
विशेष सचिव।